

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 40] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 3—अक्तूबर 9, 2015 (आश्विन 11, 1937)

No. 40] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 3—OCTOBER 9, 2015 (ASVINA 11, 1937)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by
Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक

मुंबई-400001, दिनांक 28 अगस्त 2015

बैविवि.आइबीडी.सं. 2927/23.13.065/2015-16—भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (6) के खण्ड (क) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक इसके द्वारा उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित बैंक को सम्मिलित किए जाने का निदेश देता है :—

“कोरिया एक्सचेंज बैंक कम्पनी लि.”

एन. एस. विश्वनाथन
कार्यपालक निदेशक

भारतीय स्टेट बैंक

मुंबई, दिनांक 28 अगस्त 2015

ए एण्ड एस क्र. 02/2015-16—भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 25, उप धारा (1) के अनुच्छेद (ग) के अनुसार, भारतीय स्टेट बैंक, श्री रवि नंदन सहाय, मुख्य महाप्रबंधक (सहयोगी एवं अनुषंगी) को श्री आर. सी. श्रीवास्तव के स्थान में निम्नलिखित सहयोगी बैंकों में तत्काल प्रभाव से निदेशक पद पर नामित करता है :

- (i) स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर
- (ii) स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद

- (iii) स्टेट बैंक ऑफ मैसूर
- (iv) स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
- (v) स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर

अरुंधति भट्टाचार्य
अध्यक्ष

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 31 अगस्त 2015

सं. एन-15/13/13/4/2015-यो. एवं वि.—कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, (1948 का 34) की धारा-46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 सितम्बर, 2015 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा उत्तराखण्ड कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1957 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ उत्तराखण्ड राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात् :

राजस्व ग्राम का नाम	राजस्व परगना	राजस्व तहसील	जिला
मजरी ग्रान्ट, लाल तप्पड, लालतप्पड मजरा।	डोईवाला	डोईवाला	देहरादून

मुहम्मद इरफान
संयुक्त निदेशक (यो. एवं वि.)

सं. एन-15/13/6/36/2015-यो. एवं वि.—कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, (1948 का 34) की धारा-46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 सितम्बर, 2015 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा केरल कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1957 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ केरल राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात् :

रेवेन्यु विल्लेज—कुरुम्पाला, तालुक—अदूर, जिला—पत्तनमतिट्टा।

मुहम्मद इरफान
संयुक्त निदेशक (यो. एवं वि.)

RESERVE BANK OF INDIA

Mumbai-400001, the 28th August 2015

DBR.IBD. No. 2927/23.13.065/2015-16—In pursuance of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby directs the inclusion in the Second Schedule to the said Act the following bank namely :—

“KOREA EXCHANGE BANK Co., Ltd.”

N. S. VISHWANATHAN
Executive Director

STATE BANK OF INDIA

Mumbai, the 28th August 2015

No. A&S No. 02/2015-16—In terms of Clause (c), sub-section (1) of Section 25 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act 1959, the State Bank of India hereby nominates Shri Ravi Nandan Sahay, Chief General Manager (Associates & Subsidiaries), A&S Group, State Bank of India, Mumbai, as a Director on the Board of the following Associate Banks with immediate effect vice Shri R. C. Srivastava :—

- (i) State Bank of Bikaner & Jaipur
- (ii) State Bank of Hyderabad
- (iii) State Bank of Mysore
- (iv) State Bank of Patiala
- (v) State Bank of Travancore

ARUNDHATI BHATTACHARYA
Chairman

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 31st August 2015

No. N-15/13/13/4/2015-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st September, 2015 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Uttarakhand Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1957 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Uttarakhand namely :—

Name of the Revenue Village	Revenue Pargana	Revenue Tehsil	District
Majri Grant, Lal Tappar, Lal Tappar Majra	Doiwala	Doiwala	Dehradun

MOHD. IRFAN
Joint Director (P&D)

No. N-15/13/6/36/2015-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st September, 2015 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Kerala Employees' State Insurance (Medical Benefit) rules, 1957 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Kerala namely :—

Revenue village of Kurumpala in Adoor Taluk, of Pathanamthitta District.

MOHD. IRFAN
Joint Director (P&D)

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2015
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS,
N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2015

www.dop.nic.in

DOPGIPF—[PART III—SEC.4]—121+2+1+1 +1 = 126 Copies.